सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1742/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नाथू पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल बैरवा निवासी निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

वादी

बनाम

1. उगमा पुत्र भैरू बैरवा निवासी निमोद तहसील केकड़ी
2. हगामी पत्नि रामकरण बैरवा निवासी निमोद तहसील केकड़ी
3. रमेशचन्द पुत्र रामकरणा बैरवा निवासी निमोद तहसील केकड़ी
4. कैलाशचन्द पुत्र रामकरण बैरवा निवासी निमोद तहसील केकड़ी
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक 23.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भराई में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 4 में वर्णित भूमि आराजी खसरान नम्बर 1, 2, 792, 915, 916 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्ट. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सेस 4 के संयुक्त कब्जे, काश्त, स्वामित्व की आराजीयात है एवं संयुक्त खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 2 से 4 का 1/4 हिस्सा है। वाद वर्णित आराजीयात का लगान वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 संयुक्त रूप से अदा करते है। राजस्व लगान अदा करते समय एवं काश्त करते समय वादी एवं प्रतिवादी 1 सं 4 में झगडा होने के कारण वादी द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात को उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 में विधि अनुसार विभाजित कर मौके पर काबिज कर वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व लगान निश्चित किया जावे साथ ही वादी ने प्रतिवादीगण व उनके नोकर चाकर, एजेन्ट, हाली, सीरी, परिवार के सदस्यगण, कायम मुकाम, वारिसान द्वारा आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न ना करने, वादी को जबरन बैदखल ना करने, आराजीयात को खुर्द–बुर्द ना करने एव ंना ही ऐसा कोई कृत्य करने जिससे वादी को क्षति पंहूचती हो से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा विभाजन तक पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण को तलबी हेतु 6 मौके दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई।

हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। वादग्रस्त आराजी का बटवारा किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है जिससे वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 4 में वर्णित भूमि आराजी खसरान नम्बर 1, 2, 792, 915, 916 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी